कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मसौढ़ी।

पत्रांक 1063 (अनु०) मसौढ़ी   दिनांक 15/07/2024

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल मसौढ़ी

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी
नार्बाड,
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

विषयः– नार्बाड,योजनान्तर्गत चल रहे कार्यो के अनुरक्षण हेतु अधियाचना के सबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबध में इस प्रमंडल कें अंतर्गत नार्बाड,योजनान्तर्गत चल रहे अनुरक्षण कार्यो हेतु विहित प्रपत्र में पथ वार निधि की अधियाचना की गई है जिसकी कुल राशि रु0 **5,00,131** मात्र है।

अतः आग्रह है कि संलग्न विवरणी के अनुसार विभिन्न पथों में आवंटन शीघ्र उपलब्ध कारने की कृपा की जाए।

अनु0 यथोक्त

विश्वासभाजन

15/07/24

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मसौढ़ी।

15.07.24

Rural Works Department

Format for Requistion for Five year Maintenance Under NABARD

Name of Division- RWD Works Division Masaurhi Month Year

Sl no.	Name of the Road (English)	Name Of Contractor	Actula Date of Completion (Construction Work)	Administrative Approval		Agreement		Main Work Final bill Amount in Lakh with date	Five Year Maintenance Rs in Lakh					Total Demand	Remarks
				Total	KM	Main Work Amount (Lac.)	Maintnance Amount		1st Year	2nd Year	3rd Year	4th Year	5th Year		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Akona Path to Yogapur	Dhaneshwar Nath Constructions	29.06.2022	407.55100	5.425	354.77869	27.86400	420.33333 dt. 29.06.2022	2.16476	2.83655				5.00131	
				0	0	0	0		2.16476	2.83655	0	0	0	5.00131	

RRobbi
15/07/24
D.A.O.

15/07/24
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल मसौढ़ी
15.07.24

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक–मु0 अ0–4 (मु0)रा0यो0–03–444/2018 - 81 /पटना, दिनांक– 04.01.2019

प्रेषक,

संजय कुमार, भा0प्र0से0
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

विषय:– योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)–उपशीर्ष के अन्तर्गत राज्य के पटना जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी के अधीन पुनपुन प्रखंड अन्तर्गत अकौना पथ से योगापुर तक पथ निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 5.425 कि0मी0 निर्माण हेतु रू0 376.590 लाख एवं अनुरक्षण की राशि रू0 30.961 लाख अर्थात कुल 407.551 लाख रूपये (चार करोड़ सात लाख पचपन हजार एक सौ रूपये) की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना– उप शीर्ष–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)–उप शीर्ष के अन्तर्गत राज्य के पटना जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी के अधीन पुनपुन प्रखंड अन्तर्गत अकौना पथ से योगापुर तक पथ निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 5.425 कि0मी0 निर्माण हेतु रू0 376.590 लाख एवं अनुरक्षण की राशि रू0 30.961 लाख अर्थात कुल 407.551 लाख रूपये (चार करोड़ सात लाख पचपन हजार एक सौ रूपये) की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

1. इस योजना को दो वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी द्वारा इस योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी।
4. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)–उपशीर्ष जिसका विपत्र कोड 37–4515001030105 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)–उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में 459.31 करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।
6. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी द्वारा योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 10 तारीख तक निश्चित रूप से कमशः अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल पटना एवं मुख्य अभियंता–1, पटना के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराया जाये।
7. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी यह सुनिश्चत करेगे कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अन्तर्गत स्वीकृत नही है।
8. इस योजना का चयन मा0 मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, द्वारा संचिका संख्या–मु0 अ0–4 (मु0)रा0यो0–03–444/2018 के पृ0 सं0–08/टि0 पर दिनांक–12.12.2018 को किया गया है।

Executive Engineer
R.W.D. Works Div. Masaurhi

9. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका सं0– मु0 अ0–4 (मु0)रा0यो0–03–444/2018 के पृ0 सं0–10/टि0 पर दिनांक–20.12.2018 को प्राप्त है।
10. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत ही राशि की निकासी की जाय।
11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–4–45/94–301 वि (2) दिनांक 31.01.1995 एवं वित्त विभाग के पत्रांक स्कीम (8)–11–2005–5090 वि (2) दिनांक 15.09.05 एवं 295 दिनांक 24.03.15 के आलोक में तथा वित्त विभाग के संकल्प सं0 96 दिनांक 03.01.2008 एवं 3758 दिनांक–30.05.2017 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाय। यह आदेश आंतरिक वित्तिय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तिय सलाहकार की सहमति संचिका सं0– मु0 अ0–4 (मु0)रा0यो0–03–444/2018 के पृष्ठ संख्या–15/टि0 पर दिनांक–03.01.19 को प्राप्त है।
12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य में नहीं।
13. योजना के लिए कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी से विस्तृत कार्य योजना मांगी जायेगी एवं प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।
14. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण (नियमित अंतराल पर) अनिवार्य रूप से किया जाय तथा प्रतिवेदन अभिलेखवद्ध किया जाय।
15. वित्त विभाग के पत्रांक–770, दिनांक 20.09.11 के द्वारा सूचित किया गया है कि नाबार्ड से RIDF के अन्तर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृति हेतु नाबार्ड को भेजी जाये।

विश्वासभाजन

(संजय कुमार)
विशेष सचिव
पटना, दिनांक–04.01.2019

ज्ञापांक– मु0 अ0–4 (मु0)रा0यो0–03–444/2018 - 81

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव
पटना, दिनांक–04.01.2019

ज्ञापांक– मु0 अ0–4 (मु0)रा0यो0–03–444/2018 - 81

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/उप विकास आयुक्त, पटना/अभियंता प्रमुख सह–सचिव, BRRDA, ग्रा0 का0 वि0, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता–1, पटना, ग्रामीण कार्य विभाग/मु0 अ0–4 (मुख्यालय), ग्रा0 का0 वि0/अधीक्षण अभियंता, ग्रा0 का0 वि0, कार्य अंचल, पटना/कार्यपालक अभियंता, ग्रा0 का0 वि0 कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी/मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड, बिहार क्षेत्रीय कार्यालय, (मौर्या कम्पलेक्स, पॉचवी मंजिल) डाक बंगला रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई0टी0 नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित। एम0आई0एस0 नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को स्टेट एम0आई0एस0 में प्रविष्टि हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव

Executive Engineer
R.W.D. Works Div. Masaurhi

28.12.19

(3)

9. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका सं0– मु0 अ0–4 (मु0)रा0यो0–03–444/2018 के पृ0 सं0–10/टि0 पर दिनांक–20.12.2018 को प्राप्त है।
10. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत ही राशि की निकासी की जाय।
11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–4–45/94–301 वि (2) दिनांक 31.01.1995 एवं वित्त विभाग के पत्रांक स्कीम (8)–11–2005–5090 वि (2) दिनांक 15.09.05 एवं 295 दिनांक 24.03.15 के आलोक में तथा वित विभाग के संकल्प सं0 96 दिनांक 03.01.2008 एवं 3758 दिनांक–30.05.2017 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय तथा बिहार वित नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाय। यह आदेश आंतरिक वित्तिय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तिय सलाहकार की सहमति संचिका सं0– मु0 अ0–4 (मु0)रा0यो0–03–444/2018 के पृष्ठ संख्या–15/टि0 पर दिनांक–03.01.19 को प्राप्त है।
12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य में नहीं।
13. योजना के लिए कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी से विस्तृत कार्य योजना मांगी जायेगी एवं प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।
14. योजना के कार्यान्वयन के कम में इनका निर्धारित निरीक्षण (नियमित अंतराल पर) अनिवार्य रूप से किया जाय तथा प्रतिवेदन अभिलेखवद्ध किया जाय।
15. वित्त विभाग के पत्रांक–770, दिनांक 20.09.11 के द्वारा सूचित किया गया है कि नाबार्ड से RIDF के अन्तर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृति हेतु नाबार्ड को भेजी जाये।

विश्वासभाजन

(संजय कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक– मु0 अ0–4 (मु0)रा0यो0–03–444/2018 – 81 /पटना, दिनांक–04-01-2019

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव

ज्ञापांक– मु0 अ0–4 (मु0)रा0यो0–03–444/2018 – 81 /पटना, दिनांक–04-01-2019

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/उप विकास आयुक्त, पटना/अभियंता प्रमुख सह–सचिव, BRRDA, ग्रा0 का0 वि0, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता–1, पटना, ग्रामीण कार्य विभाग/मु0 अ0–4 (मुख्यालय), ग्रा0 का0 वि0/अधीक्षण अभियंता, ग्रा0 का0 वि0, कार्य अंचल, पटना/कार्यपालक अभियंता, ग्रा0 का0 वि0 कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी/मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड, बिहार क्षेत्रीय कार्यालय, (मौर्या कम्पलेक्स, पॉचवी मंजिल) डाक बंगला रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई0टी0 नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित। एम0आई0एस0 नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को स्टेट एम0आई0एस0 में प्रविष्टि हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव

Executive Engineer
R.W.D. Works Div. Masaurhi

28-12-19